

पत्रांक-01/सू०अ०-23-25/21-22

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी
-सह- आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-
प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया।
जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज।
वन संरक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप विकास आयुक्त, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज।
नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया/कटिहार।
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।
क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, कल्याण, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, सांख्यिकी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, पंचायती राज, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक खाद्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप मत्स्य निदेशक, पूर्णिया परिक्षेत्र, पूर्णिया।
सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।
संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया/किशनगंज।
अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णिया।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया/फारबिसगंज/किशनगंज।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
सहायक श्रम आयुक्त, कटिहार।
राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।
संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

पूर्णिया, दिनांक

विषय :- बिहार सूचना आयोग के बेवसाईट का स्थायी लिंक अपने आयोग के बेवसाईट पर उपलब्ध कराने एवं इस संबंध में बिहार सूचना आयोग द्वारा जारी अनुदेश को अपने अधीनस्थ लोक सूचना पदाधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बीच परिचारित करने के संबंध में।

प्रसंग :- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 11247 दिनांक 06.07.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक 11247 दिनांक 06.07.2022 एवं अनुलग्नक बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक 526 दिनांक 10.01.2022 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभागीय पत्र एवं बिहार सूचना आयोग के पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में अपने कार्यालय सहित क्षेत्राधिकार अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बीच परिचारित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

हो -

लोक सूचना पदाधिकारी
-सह- आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक पूर्णिया, दिनांक

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 11247 दिनांक 06.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

हो -

लोक सूचना पदाधिकारी
-सह- आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक पूर्णिया, दिनांक 27.7.22

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक/लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 प्रबंधक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि संलग्न हार्ड कॉपी में उपलब्ध सूचनाओं को कार्यालय की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

हो -

लोक सूचना पदाधिकारी
-सह- आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त कार्यालय

पत्रांक-21 / रा.सू.आ.-04 / 2022, सा.प्र. 11247 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

5226
21/7

16 JUL 2022

प्रेषक

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

श्री गोपाळ

25/7/2022

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष /

प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना।

सचिव, राज्य अनुसूचित जन जाति आयोग, बिहार, पटना।

सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना।

सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।

उप सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना।

अवर सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 6-7-22

विषय:-

बिहार सूचना आयोग के वेबसाइट का स्थायी लिंक अपने आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने एवं इस संबंध में बिहार सूचना आयोग द्वारा जारी अनुदेश को अपने अधीनस्थ लोक सूचना पदाधिकारियों / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बीच परिचारित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

बिहार सूचना आयोग का पत्रांक-625 दिनांक 14.02.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार सूचना आयोग के वेबसाइट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने उद्देश्य से इस आयोग के वेबसाइट पर पहुँचने हेतु एक स्थायी लिंक उपलब्ध कराने तथा इस निमित्त आयोग के पत्रांक 536 दिनांक 10.01.2022 द्वारा जारी अनुदेश को सभी लोक सूचना पदाधिकारियों / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बीच परिचारित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि बिहार सूचना आयोग के वेबसाइट पर पहुँचने हेतु अपने-अपने विभाग / कार्यालय / आयोग के वेबसाइट पर एक स्थायी लिंक उपलब्ध कराने तथा इस निमित्त आयोग के पत्रांक-536 दिनांक 10.01.2022 द्वारा जारी अनुदेश को सभी लोक सूचना पदाधिकारियों / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के बीच परिचारित कराने की कृपा की जाय।

अनु.-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।



बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, नेहरू मार्ग, बिहार, पटना-800015
दूरभाष- 2215713, 2235059, फ़ैक्स-2235466

संख्या-1/वि0-27/2015/536/बि0सू0आ0

पटना, दिनांक-10 जनवरी, 2022

अत्यावश्यक सूचना

आयोग में दायर विभिन्न वादों की सुनवाई के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आगंतुकों (अपीलकर्ताओं एवं सरकारी पदाधिकारियों) का आगमन होता है। दूसरी ओर गृह(विशेष) विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक-38, दिनांक-04.01.2022 द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध घोषित किए गए हैं जिनमें सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक भी शामिल है जबकि आज प्रकशित समाचारों के अनुसार राज्य के कम-से-कम सात जिलों में कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक वैरिएंट ओमिक्रोन के पाए जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही, आयोग कार्यालय के भी कम-से-कम नौ कर्मी आर.टी.पी.सी.आर. जाँच में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।


2. उपर्युक्त तथ्यों तथा गृह (विशेष) विभाग के पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में आयोग कार्यालय परिसर में सभी आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना अनिवार्य है।

3. ऐसी स्थिति में गृह (विशेष) विभाग द्वारा उपर्युक्त आदेश में कोई अनुवर्ती संशोधन किए जाने तक:

- i. आयोग में दायर सभी मामलों की केवल वर्चुअल माध्यम (माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अथवा किसी अन्य डिजिटल ऑडियो/विडियो माध्यम) से की जाएगी और आयोग कार्यालय परिसर में सभी आगंतुकों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा,
- ii. वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हेतु सभी संबंधित पक्षकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में आयोग के ईमेल: bic.court1@gmail.com एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री प्रमोद कुमार ठाकुर के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में आयोग के ईमेल: bic.court3@gmail.com पर वाद संख्या, सुनवाई की तिथि/समय, संबंधित न्यायालय का नाम, अपने मोबाइल फोन संख्या एवं ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सुनवाई की तिथि से कम-से-कम तीन दिनों पूर्व अपना अनुरोध अवश्य प्रेषित कर दें,
- iii. जो आवेदक वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हों, वह इस आशय का अनुरोध सुनवाई की तिथि से कम से कम तीन दिनों पूर्व अनिवार्यतः आयोग के ईमेल bic.court1@gmail.com (राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में) अथवा bic.court3@gmail.com (राज्य सूचना आयुक्त, श्री प्रमोद कुमार ठाकुर के न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में) पर प्रेषित कर दें। ऐसे आवेदकों के

वादों की सुनवाई वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद नियत क्रमानुसार की जायेगी,


- IV. आयोग में वर्तमान में पंजीकृत अथवा सुनवाई हेतु सूचीबद्ध मामलों से संबंधित संबद्ध नए/अतिरिक्त कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय पी.डी.एफ. अटैचमेंट के रूप में आयोग के ईमेल: bsicpatna@gmail.com पर सुनवाई की तिथि से कम से कम तीन दिनों पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए अन्यथा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा,
- V. किसी भी परिस्थिति में आयोग के प्राप्ति काउंटर पर हाथों-हाथ, नए द्वितीय अपील/शिकायत आवेदन सहित, कोई कागजात स्वीकार नहीं किये जायेंगे और ऐसे आवेदकों को अपना आवेदन/कागजात आयोग के प्राप्ति काउंटर के बाहर रखे गए ड्राप बॉक्स में डालना होगा जिसकी पावती उन्हें अलग से प्रेषित की जायेगी अथवा इसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपना मोबाइल फोन अंकित किया हुआ रहने की स्थिति में एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी,
- VI. आयोग में नए द्वितीय अपील/शिकायत आवेदन डाक अथवा ईमेल के माध्यम से दायर किए जा सकेंगे बशर्ते कि अपील/शिकायत आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हों,
- VII. आयोग में वर्चुअल सुनवाई हेतु सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई की सूचना सभी संबंधित पक्षकारों को उनका मोबाइल फोन आयोग के अभिलेखों में उपलब्ध होने की स्थिति में एस. एम. एस. के माध्यम से दी जाएगी। जिन पक्षकारों का मोबाइल फोन संख्या आयोग के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आयोग के वेबसाइट (<http://sic.bih.nic.in>) को नियत अंतराल पर देखते रहने की सलाह दी जाती है।
4. यह व्यवस्था दिनांक-11.01.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी होगी।
5. इसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।


(अरुण कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक- 1/वि0-27/2015/536/बि0सू0आ0

पटना, दिनांक- 10 जनवरी, 2022


प्रतिलिपि: माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आप्त सचिव/पेशकार/संबद्ध कर्मी/राज्य सूचना आयुक्त, श्री प्रमोद कुमार ठाकुर के आशुलिपिक/पेशकार/संबद्ध कर्मी, बिहार सूचना आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

ज्ञापांक- 1/वि0-27/2015/536/बि0सू0आ0

पटना, दिनांक- 10 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, सुश्री पूजा को आयोग के वेबसाइट पर उक्त सूचना प्रकाशित करने एवं वर्चुअल सुनवाई हेतु व्यवस्था करने हेतु/आयोग के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव